भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2693

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

मिथ्या समाचारों का खतरा

2693. श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री दर्शन सिंह चौधरीः
श्री कुलदीप इंदौराः
श्री जगदीश शट्टरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बड़े पैमाने पर समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मिथ्या समाचारों को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु जवाबदेही तय करने और इंटरनेट प्लेटफार्मों को अधिक सजग और जिम्मेदार होने के लिए राजी करने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मिथ्या समाचारों को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य करने सहित सोशल मीडिया पर मिथ्या समाचारों का प्रत्युत्तर देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का झूठी खबरें फैलाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार फर्जी और भ्रामक जानकारी जिनसे बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करती है। इस संबंध में, सरकार ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए सांविधिक और संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

प्रिंट मीडिया के लिए समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा बनाए गए पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करना आवश्यक है, जो अन्य बातों के साथ-साथ फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मानकों के कथित उल्लंघन की जांच करती है तथा समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को, जैसा भी मामला हो, चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है।

प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों की सामग्री को केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर ऐसी कोई सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, मिथ्या और विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहां कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

डिजिटल मीडिया पर प्रकाशकों और समाचार एवं समसामयिक मामलों की सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) में आचार संहिता का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें पत्रकारिता के आचरण के मानकों और कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है।

सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए आईटी नियम, 2021 उन पर उचित प्रयास करने और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को ऐसी किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर, प्रसारित, प्रदर्शित या प्रकाशित आदि नहीं करने का विशिष्ट दायित्व डालता है जिसे आईटी नियम, 2021 के तहत गैरकानूनी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों को जांचने के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचार की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के बाद एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

*****